- जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय व्यवस्था

अध्याय :-9

जिला आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन

जिला आपदा प्रबंधन योजना हतु वित्तीय व्यवस्था : आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48 के उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत जिला आपदा मोचन निधि एवं अधिनियम की धारा 48 के उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत जिला आपदा शमन निधि की स्थापना किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत इन निधियों की स्थापना नहीं की जा सकीं हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में इस अधिनियम के अंतर्गत जिला आपदा मोचन निधि तथा जिला आपदा शमन निधि की स्थापना किए जाने के प्रयास किए जावेंगे।

जिला अंतर्गत स्थित सभी विभागो, पंचायती राज संस्थाएँ, नगरीय निकाय, निगम/ मण्डल इत्यादि को अपने विभागीय आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय आवश्यकताओं को विशिष्ट रूप से सम्मिलित किए जाने हेतु निर्देशित किया जावेगा। इन निधियों को वार्षिक बजट आवंटन का हिस्सा बनाकर विभागो द्वारा क्रियान्यवित किए जा रहे योजनाओं/ परियोजनाओं में आपदा मोचन तथा आपदा शमन के उपाय लागू किए जाने के प्रयास किए जावेंगे। आपदा न्यूनीकरण हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग तथा मार्गदर्शन से वित्त पोषित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जावेगा। इन योजनाओं के निर्माण तथा कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अन्य प्राधिकारणों द्वारा जारी मार्गदर्शिकाओं का ध्यान रखकर पालन किया जावेगा।

आधारभूत संरचनाओं तथा आजीविका संबन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं तथा फ्लेक्सी फ़ंड का भी उपयोग किया जावेगा।

आपदाओं के प्रभाव को कम करने तथा वित्तीय नुकसान को कम करने एवं क्षतिपूर्ति के लिए उपलब्ध सरकारी तथा अन्य बीमा योजनाओं, लघु बीमा योजनाओं को समाहित किए जाने हेतु भी प्रयास किए जावेंगे।

जिला स्तर पर प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाने हेतु (CSR) कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी संबन्धित निवेश के उपायों को भी चिन्हित किया जावेगा।

अध्याय –10

योजना की समीक्षा, मूल्यांकन एवं उन्नयन की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली

- योजना की समीक्षा एवं मूल्यांकन
- जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु प्रस्तावित कार्यों के प्रगति की समीक्षा की प्रक्रिया
- राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया हेतु योजना में प्रस्तावित प्रक्रिया के क्रियान्वयन की समीक्षा
- पुनःस्थापन एवं पुनर्वास हेतु लघु अवधि एवं दीर्घावधि कार्यों की समीक्षा
- डीडीएमपी का अद्यतन
- DDMA / SDMA की वेबसाइट पर योजना अपलोड करना
- योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन
- योजनाकासभीविभागोएवंहितधारको कोउपलब्धकरवाना

10.1 : योजना की समीक्षा एवं मूल्यांकन :- जिला आपदा प्रबंधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इसकी सतत मूल्यांकन और समीक्षा की जाएगी और योजना में नियमित रूप से आवश्यक सुधार किए जाएंगे। योजना क्रियान्वयन के समीक्षा की दृष्टि से जिला आपदा प्रबंधन योजना के निम्नांकित महत्वपूर्ण तत्व हैं:-

- जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु प्रस्तावित कार्यों के प्रगति की समीक्षा ।
- आपदा के दौरान राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया हेतु योजना में प्रस्तावित प्रक्रिया के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- आपदा पश्चात पुनःस्थापन एवं पुनर्वास हेतु लघु अवधि एवं दीर्घावधि कार्यों की समीक्षा ।

10.1.1: जोखिमन्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु प्रस्तावित कार्यों के प्रगति की समीक्षा की प्रक्रिया: - जिला आपदा प्रबंधन योजना में उल्लेखित/प्रस्तावित पूर्व तैयारी कार्यों के प्रगति की समीक्षा निम्नानुसार जाएगी:-

तालिका 10.1 : प्रस्तावित कार्यों के प्रगति की समीक्षा की प्रक्रिया का विवरण

क्र.	योजना अनुसार आपेक्षित कार्य	समीक्षा की प्रक्रिया	ज़िम्मेदारी
1.	जिला आपदा प्रबंधन समिति एवं □नुविभाग आपदा प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों की समीक्षा ।	• यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिला आपदा प्रबंधन समिति एवं समस्त □नुविभाग आपदा प्रबंधन समितियों का गठन **अध्याय 3** में प्रस्तावित संरचना अनुसार कर ली गई है। • नामित अस्थायी सदस्यों के समिति के कार्यों (अध्याय 3 में वर्णित) में उपयोगिता तथा प्रासंगिकता की समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार नामांकन में आवश्यक बदलाव किए जाए जाएंगे।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक
2.	आपदा संभावित ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्डों में स्थानीय दलों के गठन एवं कार्यों की समीक्षा ।	• यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त आपदा प्रभावित गांवों एवं नगरीय वार्डों में स्थानीय दलों का गठन योजना में प्रस्तावित संरचना अनुसार कर ली गई है । • स्थानीय दलों के सदस्यों के कार्यों की समीक्षा (मॉक ड्रिल अथवा आपदा के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर) की जाएगी तथा आवश्यकता एवं उपयोगिता अनुसर दल संरचना एवं दल में परिवर्तन किया जाएगा।	अनुविभाग आपदा प्रबंधन समिति प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक
3.	जिला एवं अनुविभाग स्तरीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीमों के गठन एवं कार्यों की समीक्षा ।	• यह सुनिश्चित किया जाएगा की जिला स्तर पर एवं समस्त अनुभागों में इंसिडेंट रिस्पौंस टीमों का गठन अध्याय 5 में प्रस्तावित संरचना अनुसार कर ली गई है। • इंसिडेंट रिस्पौंस दल के सदस्यों के कार्यों (मॉक ड्रिल अथवा आपदा के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर) की समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यकता एवं उपयोगिता अनुसार दल संरचना में परिवर्तन किया जाएगा ।	जिला प्राधिकरण एवं अनुविभाग आपदा प्रबंधन समिति प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक
4.	प्रशिक्षण एवं जनजागृति	• यह सुनिश्चित किया जाएगा की अध्याय: 6 के	जिला प्राधिकरण

	कार्यक्रमों तथा अवास्तविक अभ्यास का आयोजन।	अनुसार बुनियादी एवं विशिष्ट प्रशिक्षण, जनजागृति, अवास्तविक अभ्यास/ ड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन निर्धारित समय अवधि में सम्पन्न कर लिया गया है।	द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक
5.	संचार व्यवस्था	• यह सुनिश्चित किया जाएगा की **अध्याय 5 :**के अनुसार जिला आपातकालीन संचालन केंद्र,समस्त आपदा मोचन केंद्र,आपदा संभावित अनुविभाग स्तरीय आपात कालीन संचालन केंद्र,जिला पुलिस कंट्रोल रूम, विभागीय कंट्रोल रूम तथा स्थानीय स्तर के कंट्रोल रूम उचित रूप से कार्य कर रहे हैं। • यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपदा प्रबंधन कार्यों हेतु जिम्मेदार कार्य दल से संपर्क हेतु विभिन्न स्तरों पर दूरभाष संपर्क निर्देशिका अपडेट ह	जिला प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक
6.	आपदा संभावित ग्रामों की आपदा प्रबंधन योजना	• यह सुनिश्चित किया जाएगा की **अध्याय: 4** के अनुसार समस्त आपदा संभावित ग्रामों की आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर ली गई है।	अनुविभाग आपदा प्रबंधन समिति प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक
7.	विभागीय आपदा प्रबंधन योजना,अस्पतालों का आपदा प्रबंधन योजना व Mass Casualty Management,विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तथा फायर एक्ज़िट एवं इवेकुएशन योजना	• यह सुनिश्चित किया जाएगा की **अध्याय : 4** मे दी गई प्रक्रिया के अनुसार ज़िले के समस्त विभागों का विभागीय आपदा प्रबंधन,अस्पतालों का आपदा प्रबंधन योजना व Mass Casualty Management , समस्त विद्यालयों की आपदा प्रबंधन योजना तथा 15 मी. से ऊंचे समस्त भवनों, मॉल, सिनेमा हाल, थियेटर, स्टेडियम आदि फायर एक्ज़िट एवं वेकुएशन योजना तैयार कर ली गई है।	जिला प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक
8.	जिले के समस्त खतरनाक एवं अति खतरनाक श्रेणी के उद्योगो की ऑन एवं आफ सा ट योजना, अवास्तविक अभ्यासो एवं सेफ़्टी ऑडिट की कार्यवाही।	• यह सुनिश्चित किया जाएगा की अति खतरनाक श्रेणी के उद्योगो की ऑन एवं आफ सा ट योजना तैयार कर ली गई है। • अति खतरनाक श्रेणी के उद्योगों द्वारा अवास्तविक अभ्यासो एवं सेफ़्टी ऑडिट की कार्यवाही की समीक्षा।	जिला प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक
9.	खतरासंभावित क्षेत्रो के रहवासियों के सुरक्षा संबंधी कार्यवाही की समीक्षा ।	अध्याय 2 में चिन्हित अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है|अनुविभाग आपदा प्रबंधन समिति द्वारा इनके सुरक्षा संबन्धित अपेक्षित कार्यवाहियों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार विस्थापन संबंधी कार्यवाही की अनुशंसा से जिला प्राधिकरण को अवगत कराया जाएगा।	जिला प्राधिकरण

<u>10.1.2: राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया हेतु योजना में प्रस्तावित प्रक्रिया के क्रियान्वयन की समीक्षा :-</u> अध्याय 7 में आपदा की सभी स्थितियों के प्रतिक्रिया उपरांत **इंसिडेंट कमांडर** द्वारा जिला प्राधिकरण को निर्धारित प्रारूप में इंसिडेंट रिपोर्ट देने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रारूपों के अंतर्गत आई आर टी तथा संसाधनों के कार्यों के रिपोर्ट देने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आपदा के बाद जिला प्राधिकरण द्वारा इन रिपोर्टों की समीक्षा की जाएगी तथा बचाव कार्यो में परिलक्षित कमियों का सुधार कर, भविष्य मे **जोखिम न्यूनीकरण** की अनुसंशा कर भविष्य के लिए **प्रभावशाली योजना** को तैयार किया जावेगा।

<u>10.1.3: पुनःस्थापन एवं पुनर्वास हेतु लघु अवधि एवं दीर्घावधि कार्यों की समीक्षा:-</u> पुनःस्थापन एवं पुनःनिर्माण के कार्य **अध्याय 8 (तालिका- 8.1 एवं तालिका 8.2)** में दिये गए विवरण अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा पूर्ण किया जाना है । जिला प्राधिकरण द्वारा इन कार्यों को पूर्ण करने की अवधि निर्धारित की जाएगी तथा प्रगति की समीक्षा की जाएगी ।

<u>10.2: डीडीएमपी का अद्यतन:-</u>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, धारा 31 की उप-धारा (4) के अनुसार, योजना को प्रति वर्ष अध्यतन किया जाना है। जिला प्राधिकरण द्वारा प्रति वर्ष **दिनांक 31 जनवरी** तक जिला आपदा प्रबंधन योजना को निम्नांकित बिन्दुओं पर अध्यतन कर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचित किया:

<u>तालिका 10.2 : आपदा प्रबंधन योजना मे प्रतिवर्ष अद्यतन की जाने वाली जानकारी</u>

क्र.	अद्यतन की जाने वाली जानकारी	तालिका क्र.	मानचित्र क्र.	योजना को अध्यतन करने हेतु जिम्मेदार विभाग	रिमार्क
➢	**अध्याय– 1:जिले का परिचय एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना की सामान्य जानकारी**				
1.	जनसांख्यिकी का विवरण	1.1	-	जिलासांख्यकी	जनगणना (10 वर्ष मे जनगणना पश्चात), किसी नए प्रशासनिक इकाई के गठन तथा नए जलाश□ों के निर्माण के बाद तालिका व मानचित्र अद्यतन कि□ा जाएगा
2.	प्रशासनिकइकाई का विवरण	1.2	1.1	भू- अभिलेख	
3.	नए सड़कएवंरेल मार्ग का विवरण	-	1.5	लोक निर्माण विभाग	
4.	नए जलाश□ों और उनकी क्षमता	1.4	1.4	जल संसाधनविभाग	
➢	**अध्याय – 2: जिले की आपदा संवेदनशीलता व जोखिम विश्लेषण**				
1	संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण	2.1-2.4	2.1-2.12	स्थानीयप्रशासन	बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी प्रतिवर्ष निर्धारित फ़ारमैट मे (खंड 1 मे संलग्न) एकत्रित की जाएगी तथा योजना को इस जानकारी से अद्यतन किया जाएगा।
2	बाढ़ प्रभावित रपटों / जल मग्न पुलियाओं का विवरण	2.6	-	लोक निर्माण विभाग	
3	एम.ए.एच. इंडस्ट्रीज का विवरण	2. 8	2.10	डीआईएचओ	नए एमएएच स्थापित होने अथवा बंद होने संबन्धित जानकारी अद्यतन की जाएगी।
➢	**अध्याय – 3: जिले में आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था**				
1	आपदा मोचन केन्द्र एवं प्रभारी का विवरण	3.1	-	होमगार्ड	**प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई** या आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाएगा
2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों का विवरण	3.2	-	मुख्यकार्यपालन अधिकारी आपदा	

3	जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के सदस्यों का विवरण	3.3	-		
4	अनुभागीय स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों का विवरण	3.4	-	अनुभागीयअधिकारी	
➢	**अध्याय – 5पूर्व तैयारी की योजना**				
1	संसाधनमानचित्र	-	5.1	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	
2	राहतस्थलमानचित्र	-	5.2		
3	नोडल अधिकारियों का विवरण	5.3, 5.4, 5.5	-		
4	आपातकालीनसंचालन केंद्र एवंविभागीय कंट्रोल रूम का विवरण	5.6	-		
5	केंद्र सरकार क□ अधीन **C-बैंड** आधारित **POLNET**के **VSAT**उपकरण का विवरण	5.8	-		
6	केंद्र एवं राज्य शासन के अधीन Ku-बैंड आधारित NDMA के VSAT उपकरण का विवरण	5.9	-		
➢	**अध्याय – 6: क्षमता वृद्धि एवं प्रशिक्षण योजना**				
1	जिला जनजागृति कार्यक्रम वार्षिक कैलेंडर	6.1	-	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	किसी जनजागृति कार्यक्रम,प्रशिक्षण कार्यक्रम,विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम,मोक ड्रिल / □ भ्यास कैलेंडर तथा आपदा प्रबंधन दल मोक ड्रिल क□ कैलेंडर/ कार्यक्रम को आवश्यकतानुसार □ द्यतन किया जाएगा।
2	जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम वार्षिक कैलेंडर	6.2			
3	विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम	6.3			
4	जिला मोक ड्रिल / □ भ्यास कैलेंडर	6.4			
5	आपदा प्रबंधन दल मोक ड्रिल/□ भ्यास कैलेंडर	6.5			
➢	**अध्याय –7 :राहत,बचाव एवं प्रतिक्रिया योजना**				
1	अनुविभागीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम की संरचना	चार्ट क्र. 7.8		अनुविभागीय आपदा प्रबंधन समिति	अनुविभागीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम तथा जिला स्तरीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम को किसी प्रकार की आपदा से निपटने के पश्चात अनुभव एवं आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाएगा।
2	जिला स्तरीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम की संरचना	चार्ट क्र. 7.11		जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	
➢	**अध्याय -8: लघु एवं दीर्घ अवधि पुनर्निर्माण, पुनर्वासएवं पुनर्स्थापन के उपाय**				
	जिला प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार अध्यतन किया जाएगा ।				
➢	**अध्याय :-9जिला आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन**				
	जिला प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार अध्यतन किया जाएगा ।				
➢	**अध्याय-11: जिला आपदा प्रबंधन योजना लागू करने के लिए समन्वय तंत्र**				
	जिला प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार अध्यतन किया जाएगा ।				
➢	**अध्याय-12: मानक संचालन प्रक्रिया एवं चेकलिस्ट**				

जिला प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार अध्यतन कि□ा जाएगा ।

10.3: DDMA / SDMA की वेबसाइट पर योजना अपलोड करना:-जिला आपदा प्रबंधन की □द्यतन (UPDATED) योजना कोजिले की वेबसाइट**(DISTRICT NIC)** पर अपलोड किया जाएगा तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा योजना को **एम.पी.एस.डी.एम.ए.** के **वेब पोर्टल** पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जावेगा|

10.4:योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन-: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगा:-

- **मॉकड्रिलरिपोर्ट के आधार पर : -** □ **ध्याय6** में वर्णित माँकड्रिल आयोजन क□उपरा□ ड्रिल पर्यव□क्षक द्वारा ड्रिल का रिपोर्ट दिया जाय□ा. इस रिपोर्ट क□आधार पर जिला प्राधिकरण द्वारा योजना को उपयोगी एव□प्रभावशाली बनानाहेतु आवश्यक निर्देश दिए जायेंग□

- **आपदा के उपरांत कृत कार्यवाहियों की समीक्षा केआधार पर :-** जिले में आपदा घटित होने के उपरा□, (**अध्याय 7 -आई आर .एस फॉर्म 001**) अनुसार घटना प्रबंधन रिपोर्ट जिला प्राधिकरण को प्रेषित किया जायेगा | इस रिपोर्ट के आधार पर योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जायेगातथाजिला प्राधिकरण द्वारा योजना में आवश्यक बदलाव किये जायेंगे|

10.5: योजना को सभी विभागो एवं हितधारको को उपलब्ध करवाना:-जिला आपदा प्रबंधन योजना की हार्ड कॉपी समस्त अनुभागों एवं जिले के समस्त महत्वपूर्ण विभागों को प्रेषित करने की ज़िम्मेदारी डी. डी. एम. ए. की होगी। जिले के समस्त विभागों, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनो, जिला आपदा प्रबंधन समिति, विकासखंड आपदा प्रबंधन समिति एवं समस्त हितधारकों को जिला NIC वेब मे आपदा प्रबंधन योजना देखने हेतु पत्र/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।